



प्रेस नोट
जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा दिनांक 19.11.2020 को मु0अ0सं0 273/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर में वांछित अभियुक्त विकास सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी मुमताजपुर थाना रामपुरकलां सीतापुर जनपद सीतापुर को पहला तिराहा से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 309/2020 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त विकास उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु चोरी तथा नकबजनी जैसे अपराध कारित करता है। अभियुक्त की संपत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता-

- विकास सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी मुमताजपुर थाना रामपुरकलां सीतापुर जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 176/16 धारा 401 भादवि थाना रामपुर कलां
2. मु0अ0सं0 165/16 धारा 457/380 भादवि थाना रामपुर कलां
3. मु0अ0सं0 128/16 धारा 379 भादवि थाना रामपुर कलां
4. मु0अ0सं0 147/2020 धारा 395/412 भादवि थाना रामपुर कलां
5. मु0अ0सं0 273/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना रामपुर कलां
6. मु0अ0सं0 309/2020 धारा 25 (1-B) आर्म्स एक्ट थाना रामपुर कलां

गिरफ्तार करने वाली थाना रामपुर कलां पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष संजीव कुमार थाना रामपुर कलां सीतापुर
1. उ0नि0 कैलाश यादव थाना रामपुर कलां सीतापुर
2. हे0का0 बृजेश यादव थाना रामपुर कलां सीतापुर
3. का0 अशोक कुमार थाना रामपुर कलां सीतापुर

